

संयुक्त सं-17/वायध-2-42/2007 421(17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

डा० प्रमोद कुमार,
सरकार के उप सचिव

सभा प्राचार्य / अधीक्षक,
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

पटना, दिनांक 27/3/08

विषय:- राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के पी०एस०एम० विभाग के चिकित्सक शिक्षकों की संयुक्त अंतिम, वरीयता सूची का प्रकाशन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है विभागीय पत्रांक 66(17) दिनांक 21.01.08 का समीक्षा याचिका संख्या-2688/2005 डा० एन० के० सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के पारित न्याय निर्णय एवं इसके विरुद्ध दायर अवमाननावाद संख्या -157/02 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.07 का पारित आदेश /निर्देश के अनुपालन हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के पी०एस०एम० विभाग के चिकित्सक शिक्षकों की संयुक्त आर्वाधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी तथा संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक के माध्यम से आर्वाधिक वरीयता सूची के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित की गई थी।

2. उपर्युक्त के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु विभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गई। समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों के समीक्षोपरान्त वरीयता सूची को अंतिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की गयी।

3. अतः सभा प्राचार्य / अधीक्षक को अंतिम वरीयता की प्रति भेजते हुए अनुग्रह है कि वे अपने अधिनस्थ संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को अंतिम वरीयता सूची परिचारित करायेंगे।

विश्वासभाजन

(डा० प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव।

पी०एस०एम० विभाग की अंतिम वरीयता सूची ।

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	सहायक प्राध्यापक/ट्यूटर की अधिसूचना संख्या एवं तिथि	अभ्युक्ति
	डा० शशि सिन्हा	01.12.77 (सहायक प्रा०)	प्राध्यापक के पद पर योगदान के अलावा में आपसी वरीयता प्रभावित होगी ।
	डा० गीता सिंह	615(1)/16.02.79	
	डा० चितरंजन राय	165(17)/25.01.88	वरीयता सूची न्यायालय में दायर याचिका में पारित होने वाले आदेश के शर्तार्थान
4	डा० प्रकाश चन्द्र (अ०जा०)	165(17)/25.01.88	
5	डा० अनिल कुमार जायसवाल	25.01.88	
6	डा० विनोद प्रसाद (अ०जा०)	165(17)/25.01.88	
7	डा० सुरज नायक	716(17)/30.12.89	वरीयता सूची न्यायालय में दायर याचिका में पारित होने वाले आदेश के शर्तार्थान ।
8	डा० प्रेम कुमार सिंह	412(17)/10.07.91	
9	डा० रश्मि सिंह	412(17)/10.07.91	
10	डा० मीथव शरण प्रसाद	819(17)/20.10.86	
11	डा० अखौरी प्रभात कुमार सिन्हा	855(17)/28.12.91 तथा शुद्धि पत्र सं० 111(17)/26.03.92	
12	डा० रुद्र प्रताप नारायण सिंह	1305(17)/13.12.03	सेवानिवृत्त
13	डा० अमरेंद्र नारायण चौधरी	1305(17)/13.12.03	
14	डा० अजय कृष्ण	729(17)/17.09.01	
15	डा० राजेश रंजन सिन्हा	729(17)/17.09.01	
16	डा० रंजीत कुमार सिन्हा	729(17)/17.09.01	
17	डा० हेम कान्त झा	729(17)/17.09.01	

421(17)

27/3/89

(डा० प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव


संख्या-17/विधि-2-42/07

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग


(शुद्धि पत्र)

विभागीय पत्रांक-421(17) दिनांक 27.03.08 द्वारा प्रकाशित राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के पीओएसओएमओ विभाग की अंतिम वरीयता सूची में टंकण भूलवश हुई त्रुटियों को निम्न प्रकार शुद्ध किया जाता है :-

1. वरीयता क्रमांक-1 डा0 शशि सिन्हा के समक्ष स्तम्भ -3 के कोष्ठक में अंकित सहायक प्राध्यापक को विलोपित किया जाता है ।
2. वरीयता क्रमांक-3 एवं 7 के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित अभ्युक्ति को विलोपित किया जाता है ।
3. वरीयता क्रमांक-14,15,16 एवं 17 के समक्ष स्तम्भ 3 में अंकित अधिसूचना संख्या-729(17) दिनांक 17.09.01 को सुधार कर अधिसूचना संख्या 729(17) दिनांक 17.09.02 पढ़ा जाय ।
4. शेष यथावत रहेगा ।


(जमीरुद्दीन अंसारी)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

आपांक-17/विधि-2-42/07 491(17) / पटना, दिनांक- 11.4.08
प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक उपयुक्त शुद्धि पत्र के आलोक में परिचारित की जाने वाली वरीयता में उक्त अंश को सुधार कर परिचारित करेंगे ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।